रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 864] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 6, 2004/आश्विन 14, 1926
No. 864] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 2004/ASVINA 14, 1926

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

(एल.ई.आई. अनुभाग)

## आदेश

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2004

**का.आ. 1092(अ).**—औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास में और रोजगार उपलब्ध कराने में मुख्य भूमिका निभाता है। उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य से, सरकार ने एक राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद् (एनएमसीसी) की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह एक शीर्ष निकाय होगी जो नीति बनाने के लिए निविष्टियां उपलब्ध कराएगी और भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उपायों का सुझाव देगी।

**क.** श्री वी. कृष्णामूर्ति मंत्रिमण्डल मंत्री स्तर में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।

**ख.** परिषद् के सदस्य सरकार और उद्योग से होंगे।

**ग. भूमिका**

(i) उन विनिर्माण क्षेत्रों, जिनमें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की संभावना है और इन क्षेत्रों में उद्योग की संरचना व आकार, प्रौद्योगिकी अन्तराल, आधुनिकीकरण की जरूरत इत्यादि से संबंधित समस्याओं व बाधाओं का पता लगाना।

(ii) विनिर्माण क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए क्षेत्र विशेष की नीतियां विकसित करना।

(iii) परीक्षण, गुणवत्ता, डिजाइन, मानव संसाधन विकास, दक्षता, प्रशिक्षण संस्थानों इत्यादि जैसी सामान्य अवसंरचना तथा सुविधाएं सृजित करने के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(iv) जनता तथा निजी क्षेत्रों और श्रमिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों के बीच बातचीत के लिए मंच प्रदान करना।

**घ. कार्य**

एन.एम.सी.सी. उद्योग तथा क्षेत्र विशेष पहलों के बारे में सरकार को सलाह देगी जो उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अपेक्षित होंगे। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) क्षेत्रीय तथा उपक्रम स्तर की पहलें

(ख) नवीनता तथा प्रौद्योगिकी विकास (आर एण्ड डी)

(ग) उद्यमिता संवर्धन

(घ) अवसंरचना तथा सक्षम सुविधाएं

(ङ) व्यापार तथा राजकोषीय नीतियां; और

(च) रोजगार सृजन

2. परिषद् की संरचना अलग से अधिसूचित की जाएगी।

3. परिषद् एक स्वायत्तशासी निकाय होगी और यह औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होगी।

4. परिषद् अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए उद्योग के उपयुक्त व्यावसायिकों की सेवाएं ले सकती है।

5. परिषद् के कार्य संचालन पर किया गया व्यय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 14(18)/2004-एल.ई.आई.]

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Industrial Policy and Promotion)

### (LEI SECTION)

### ORDER

New Delhi, the 6th October, 2004

**S.O. 1092(E).**—The industrial sector plays a key role in the development of the economy and in providing employment. In order to improve the competitiveness of industry, the Government has decided to establish a National Manufacturing Competitiveness Council (NMCC). This will be an apex body which will provide inputs for policy making as well as suggest measures for enhancing the competitiveness of Indian Industry.

A. Shri V. Krishnamurthy has been appointed Chairman in the rank of Cabinet Minister.

B. Council shall have Members from Government and Industry.

C. ROLE

(i) Identification of manufacturing sectors, which have potential for global competitiveness, problems and constraints in such sectors with respect to structure and size of industry, technology gaps, modernization needs etc.

(ii) Evolving sector specific strategies for enhancing competitiveness of manufacturing sector;

(iii) Recommending measures to create common infrastructure and facilities such as testing, quality, design, HRD, skills, training institutes, etc. and

(iv) Providing forum for dialogue between the public and private sectors, labour and academic sectors.

D. FUNCTIONS

The NMCC shall advise the Government on industrial and sector specific initiatives that may be required for enhancing competitiveness of industries. It would *inter alia* include :—

(a) Sectoral and enterprise level initiatives;

(b) Innovation and technology development (R & D);

(c) Entrepreneurship promotion;

(d) Infrastructure and enabling facilities;

(e) Trade and fiscal policies; and

(f) Employment generation.

2. The composition of the Council shall be notified separately.

3. The Council shall be an autonomous body and shall be under the administrative control of Department of Industrial Policy and Promotion.

4. In the discharge of its functions the Council may utilize the services of suitable professionals from the Industry.

5. The expenditure incurred on the functioning of the Council would be met by the Department of Industrial Policy and Promotion.

[F. No. 14(18)/2004-LEI]

S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.